कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी अयोध्या

पत्र सं0– आई–7/एफ0एस0/2022 दिनांक – 05/04/2022

सेवा में,

जिलाधिकारी
अयोध्या

विषयः–गाटा सं0 116 ग्राम साल्हेपुर निमैचा तहसील सोहावल जनपद अयोध्या पर मिर्जा मुदस्सिर बेग पुत्र मिर्जा कमर बेग निवासी ग्राम रौनाही उपरहान तहसील सोहावल अयोध्या को इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड का (रिटेल आउटलेट) को स्थापित किए जाने हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी आख्या–

सन्दर्भः–प्रभारी अधिकारी (आयुध) का पत्रांक–1695/आयु0लि0/NOC-IOCL/SALHEPUR NEMAICHA /2022 दिनांक 26.03.2022

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में मेरे द्वारा संयुक्त रूप से अग्नि से सुरक्षा की दृष्टिकोण से स्थलीय निरीक्षण किया गया निरीक्षण एवं मानचित्र परीक्षण के अनुसार निम्नवत् पाया गया–

(क) ढाँचागत सुरक्षा व्यवस्थाः–

1. प्रस्तावित स्थल अयोध्या से लखनऊ जाने वाले मार्ग पर स्थित है।
2. मानचित्र में प्रस्तावित स्थल (35×45) कुल 1575 वर्ग मीटर दर्शाया गया है। जिसमें आफिस, सेल रूम शौचालय तथा इलेक्ट्रिक पैनल का निर्माण प्रस्तावित हैं।
3. कैनोपी का कवर्ड एरिया 276 वर्ग मी0 प्रस्तावित है।

(ख) प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाएंः– आन साइट रिटेल आउटलेट पर निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं प्रस्तावित की जाती है–

1. प्रत्येक रिटेल आउटलेट पर ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर 09 क0जी0 क्षमता का 2 अद्द लगाया जायेगा।
2. जनरेटर रूम पर 09 के0जी0 क्षमता का ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर एक अद्द व्यवस्थित किया जायेगा।
3. वेन्ट पाइप के पास एक अद्द 9 के0जी0 क्षमता का ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर व्यवस्थित किया जायेगा।
4. कार्यालय में 4.5 के0जी0 क्षमता का एक अद्द सीओटू टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर व्यवस्थित किया जायेगा।
5. सेल्स रुम तथा लुब्रीकेन्ट स्टोर में एक–एक अदद ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर व्यवस्थित किया जायेगा।
6. रिजर्व बालू टैंक 6×3×3 घन फिट का बनाया जायेगा।
7. धूम्रपान निषेध तथा आपात कालीन टेलीफोन पट्टिका लगायी/बनायी जायेगी जिस पर टेलीफोन नं0 101, 112, 05278–224233, 9494418709 व स्थानीय पुलिस स्टेशन का टेलीफोन नं0 अंकित किया जायेगा।
8. अनुमोदित मानचित्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा यदि परिवर्तन किया जाना अपरिहार्य है तो इस कार्यालय से पुनः अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा।

अतः उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के आधार पर आवेदक द्वारा बिन्दुवार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अधिष्ठापित कराकर अग्निशमन विभाग से अग्निशमन उपकरणों का निरीक्षण/परीक्षण कराकर अन्तिम अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त तेल भण्डारण व विक्रय कार्य करेगें। प्रत्येक वर्ष रिटेल/आउटलेट पर अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों/यंत्रो एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण/परीक्षण कराने व कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अतः प्रस्तावित रिटेल/आउटलेट के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की संस्तुति की जाती है।

05/04/22

(राजकिशोर राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अयोध्या

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद-अयोध्या

25-4-22

सैयद ताबिश अहद/ Syed Tabish Ahad
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री सेल्स)/Sr. Manager (Retail Sales)
गोरखपुर मंडल कार्यालय/Gorakhpur Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड/Indian Oil Corporation Ltd.
गोरखपुर/Gorakhpur

प्रतिलिपिः– आवेदक को एक प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त व्यवस्थाओं एवं निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित् करेगें।